Toppersnotes
Unleash the topper in you

REET

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा

Board of Secondary Education, Rajasthan

Level – I

भाग – 5

पर्यावरण अध्ययन

SIERRA INNOVATIONS

REET LEVEL – 1

CONTENTS

पर्यावरण अध्ययन

1. परिवार 1
   - समाजिक बुराईयाँ 5
2. वस्त्र एवं आवास 11
3. व्यवसाय 16
   - राजस्थान में उद्योग 17
   - हस्तकला 21
   - उपभोक्ता जागरूकता 36
   - सहकारिता 39
4. सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएँ 41
   - संसद 43
   - राज्य विधानमण्डल (विधानसभा) 54
   - स्थानीय स्वशासन 58
   - राजस्थान में पंचायतीराज 60
5. हमारी सभ्यता एवं संस्कृति 64
   - राष्ट्रीय प्रतीक 64
   - राष्ट्रीय पर्व 65
   - राजस्थान के मेलें व त्योहार 67
   - आभूषण, वेशभूषा व खान–पान 79
   - राजस्थान की विरासते एवं वास्तुकला 84
   - राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व 96
   - राजस्थान में पर्यटन उद्योग एवं स्थल 101
   - राजस्थान में लोक देवता 108
   - राजस्थान में लोक देवियाँ 122

- राजस्थानी मुहावरे व लोकोक्तियाँ 129
- राजस्थान की चित्रकला 139

6. परिवहन एवं संचार 149

7. अपने शरीर की देखभाल 159

- सन्तुलित भोजन 165
- शरीर के आन्तरिक भाग की जानकारी 167

8. जीव एवं जगत 181

- वन्यजीव अभयारण्य 183
- राष्ट्रीय उद्यान 187
- राज्य में वन सम्पदा 202
- राजस्थान में कृषि 212

9. जल 230

- जल संरक्षण एवं संग्रहण 235
- सिंचाई परियोजनाएँ 237

10. पृथ्वी एवं अंतरिक्ष 241

- भारत के अंतरिक्ष यात्री 245

11. पर्वतारोहण 246

इकाई – 1

12. पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना 253

इकाई – 2

13. संकल्पना, प्रस्तुतीकरण के उपागम, क्रियाकलाप/प्रायोगिक कार्य, चर्चा 261

14. सतत् एवं समग्र मूल्यांकन 274

15. शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण समस्याएँ 277

16. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 281

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह

भारत का राष्ट्रीय पक्षी –

मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है । सन् 1963 मे यह निर्णय लिया गया था कि मोर की भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाएगा । मोर भारतीय संस्कृति और प्रकृति का एक अनन्य हिस्सा हैं । मोर को चुनने की एक वजह यह भी थी कि मोर भारत के हर हिस्से में पाया जाता है ।

भारत का राष्ट्रीय पशु –

भारत का राष्ट्रीय पशु धारीदार बाघ है । बाघ को उसकी रफ्तार और खूबसूरती के कारण जाना जाता है । भारत में गुजरात और बंगाल में मुख्य रूप से बाघ पाए जाते है, हालांकि वे दोनो अलग-अलग स्पिसीज के है । अप्रैल 1973 के दौरान बंगाली बाघों को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था ।

भारत का राष्ट्रगान–

'जन, गण, मन' भारत का राष्ट्रगान है । भारत के राष्ट्रगान को 'रवींन्द्रनाथ टैगोर' द्वारा लिखा गया था । इसका पहला संस्करण बंगाली में लिखा गया था और बाद में इसे हिन्दी में दुबारा लिखा गया था । 24 जनवरी 1950 को 'जन गण मन' को भारत के राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था ।

भारत का राष्ट्रीय फूल–

भारत का राष्ट्रीय फूल कतल है । भारत की पौराणिक मान्यताओं में कमल का महत्व काफी ज्यादा है । कमल को देवी लक्ष्मी का फूल माना जाता है । कमल प्राकृतिक रूप से कीचड में खिलता है जिस कारण यह प्रेरणा का स्त्रोत माना जाता है ।

भारत का राष्ट्रीय फल–

भारत का राष्ट्रीय फल आम है । आम भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फल है । आधुनिक भारत से लेकर प्राचीन भारत तक आम को बडे चाव से खाया जाता है ।

भारत का राष्ट्रीय गीत–

'वंदे मातरम' भारत का राष्ट्रीय गीत है । इसे 'बंकिम चंद्र चटर्जी' ने लिखा था । आजादी के पहले यह आंदोलनकारियों में प्रेरणा गीत के रूप मे सुना जाता था 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था ।

भारत का 'पशु धरोहर राष्ट्रीय'–

भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु एशियाई हाथी है । गौरतलब है कि यह एशियाई हाथी, एशिया के केवल कुछ ही हिस्सों में पाया जाता है ।

भारत का राष्ट्रीय 'जीव जलीय'–

भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉलफिन है । भारत में यह डॉलफिन गंगा नदी में पाया जाता है । पहले इस प्रजाति के बहुत से जीव गंगा मे थे लेकिन धीरे-धीरे यह प्रजाति विलुप्त हो रही है ।

भारत का राष्ट्रीय सांप–

भारत का राष्ट्रीय सांप किंग कोबरा है । इनकी औसत लंबाई कुल 5.6 से 5.7 मीटर होती है । यह जहरीला नाग अक्सर भारतीय जंगलो में पाए जाते है । यह भारत की पौराणिक कहानियो मे विशेष महत्व रखते है ।

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह–

अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है । इस चिन्ह में चार एशियाई शेरो को चारो दिशा में देखते हुए उकेरा गया है । यह चिन्ह अशोक साम्राज्य के शक्ति एवं शौर्य को इंगित करता था और यही अब चिन्ह भारत के लिए करता है ।

भारत की राष्ट्रीय नदी–

भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है । गंगा विश्व की सबसे प्राचीन नदियों मे से एक है । गंगा भारत की सबसे बडी नदी है और भारतीय नागरिको के मन में गंगा के प्रति एक विशेष श्रद्धा है । गंगा के किनारे पर वाराणसी, इलाहबाद और हरिद्वार जैसे शहर स्थित है ।

भारत का राष्ट्रीय पेड–

भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड है । ऐसा कहा जाता है कि बर्गद विस्तृत और छायादार होने की प्रेरणा देता है । बर्गद तरह-तरह के जानवरों और पक्षियों को निस्वार्थ भावना से संरक्षण प्रदान करता है ।

भारत की राष्ट्रीय मुद्रा–

भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रूपया है । गौरतलब है कि भारत में रूपए का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है । भारतीय मुद्रा का नाम रूपया, चांदी के सिक्कों के पर आधारित है । सबसे पहले रूपए को अपने साम्राज्य मे शेर शाह सूरी द्वारा लागू किया गया था ।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज–

भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताका है और तीन रंगो से मिलकर बना है । ये तीन रंग केसरीय, सफेद और हरा हैं । राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र स्थापित किया गया है । 22 जुलाई 1947 को इसे एक संविधान सभा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया था ।

राजस्थान में पर्यटन उद्योग

पर्यटन – विदेशी आय कमाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है।

विकास के प्रयास

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

UNO (संयुक्त राष्ट्र संघ)

1. 27 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
2. वर्ष 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया गया।

राष्ट्रीय स्तर

25 जनवरी, को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते है।

राजस्थान

- वर्ष 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई।
- वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई।
- 1 अप्रैल, 1979 को RTDC का गठन (राजस्थान पर्यटन विकास निगम) किया।
- कार्य – Hotel सुविधा, मेले व उत्सव आयोजन, पर्यटन स्थल देखरेख
- पर्यटन को उद्योग का दर्जा – 4 मार्च, 1989 को मिला।
- सिफारिश – मोहम्मद युनुस समिति
- राजस्थान देश का पहला राज्य
- 27 सितम्बर, 1991 को राज्य Paying Guest योजना का संचालन किया। (12 जिलों में संचालित है।)
- 1 अगस्त, 2000 को पर्यटन पुलिस बल का गठन किया।
- वर्ष 2004–05 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दिया गया।

शिल्पग्राम योजना

- शुरुआत – 1989
- प्रथम शिल्पग्राम – हवालाग्राम (उदयपुर)
  पुष्कर (अजमेर)
  पाल (जोधपुर)
  रामसिंहपुर (सवाईमाधोपुर)

RITTMAN – Rajasthan Institute Tourism and Travel Management

स्थापना – 29 अक्टूबर, 1996 (जयपुर)

Hotel Management Institute

जयपुर	उदयपुर	जोधपुर
1989	1989	1996

Place an Air Yojna

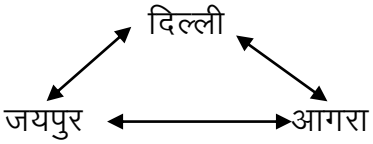

रोप वे संचालन

1. सुंधामाता रोप वे – जालौर, 20 दिसम्बर, 2006 को, 800 मीटर लम्बा (सबसे लम्बा)
2. इच्छापूर्णी करणीमाता – उदयपुर, 8 जून, 2008
3. सावित्री माता – पुष्कर, 3 मई, 2016
4. सामोद बालाजी – जयपुर, 25 मई, 2019

शाही ट्रेन का संचालन

संचालन – RTDC + Indian Railway

1. पैलेस ऑन व्हील्स (Heritage Palace on Wheels)
   7 दिन व 8 रात में एक फेरा पूरा करती है।
   रूट – दिल्ली → जयपुर → स. माधोपुर → चित्तौडगढ़ → उदयपुर → जैसलमेर → जोधपुर → भरतपुर → आगरा → दिल्ली
2. विलेज ऑन व्हील्स – 29 नवम्बर, 2004 में
3. हैरीटेज ऑन व्हील्स – 2006
4. रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स – जनवरी, 2009
   7 दिन व 8 रात में फेरा पूरा करती है
   रूट – दिल्ली → जोधपुर → उदयपुर → चित्तौड़गढ → रणथम्भौर → जयपुर → खजुराहो → वाराणसी → सारनाथ → आगरा → दिल्ली
5. फेयरी क्वीन – 2003
   शेखावटी के भित्ति चित्रण हेतु
6. यागदार एक्सप्रेस
7. ग्रेट अरावली ट्रेन

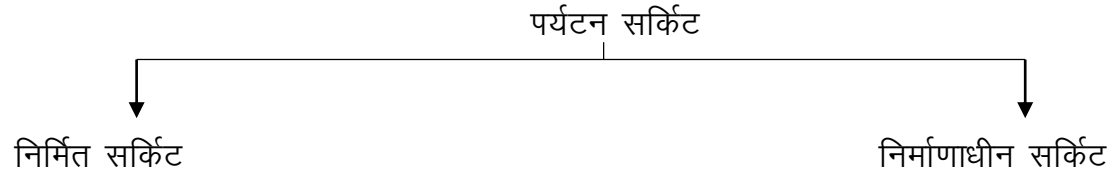

निर्मित सर्किट

1. मरू त्रिकोण

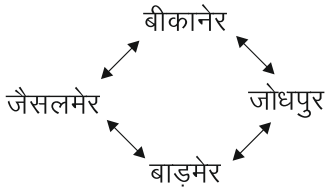

नोट – मरुत्रिकोण में अब बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है।

2. शेखावाटी सर्किट –

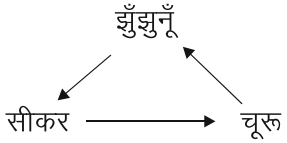

3. भरतपुर सर्किट

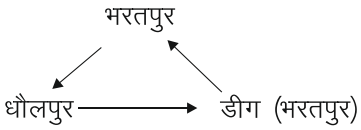

4. ढुँढाड सर्किट

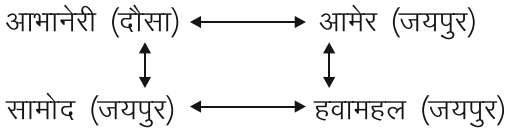

5. हाडौती सर्किट

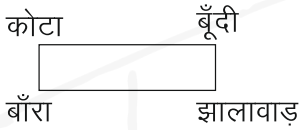

6. मेवाड़ सर्किट

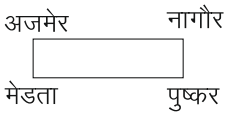

7. मेवाड सर्किट

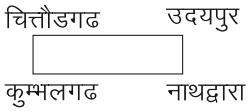

8. रणथम्भौर सर्किट

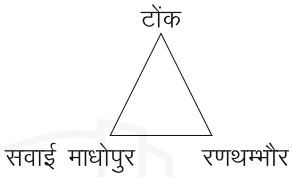

9. माउण्ट आबू सर्किट (जालौर सर्किट)

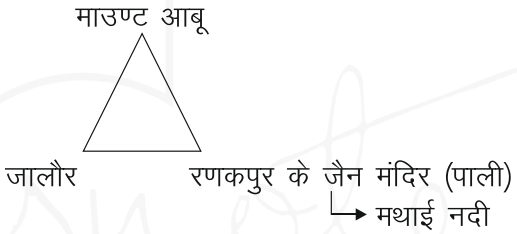

निर्माणाधीन सर्किट

1. स्वर्णिम त्रिकोण

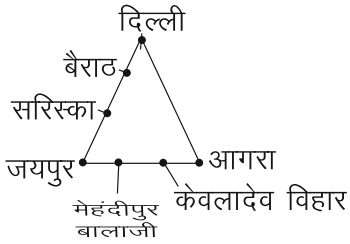

2. कृष्णा सर्किट

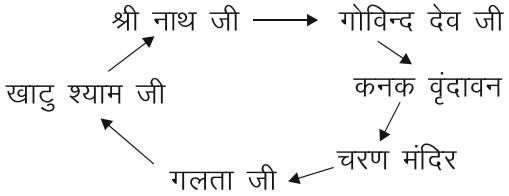

3. बालाजी सर्किट

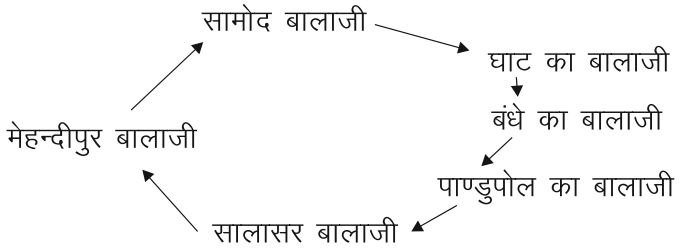

4. ट्राइबल सर्किट

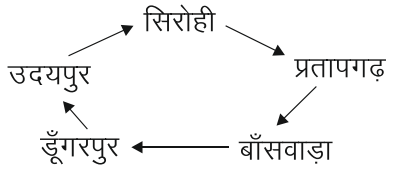

5. बौद्ध सर्किट

बैराठ (जयपुर) ↔ झालरापाटन (झालावाड़)

- जयपुर परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2019 में शामिल किया गया है।
- राजस्थान पर्यटन का आदर्श वाक्य (ध्येय वाक्य)

1978 → ढ़ोलामारू

1993 → पधारो म्हारे देश (ललित के पंवार)

1998 → रंगलो राजस्थान

2007 → अतुल्य राजस्थान

15 जनवरी, 2016 → जाने क्या दिख जाये

29 जनवरी, 2019 → पधारो म्हारे देश

पर्यटक संभाग की संख्या 4 है।

1. जयपुर 2. उदयपुर 3. कोटा 4. अजमेर

- पुरातात्विक पर्यटन संभाग – 7
- राजस्थान में पर्यटन नीति – प्रथम – सितम्बर, 2001
- राजस्थान इको ट्यूरिज्म नीति – मार्च, 2010
- राजस्थान विरासत संरक्षण अधिनियम – 2014
- राजस्थान झील संरक्षण अधिनियम – 2015

यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में शामिल

1. प्राकृतिक स्थल – केवलादेव घना पक्षी विहार? 1985
2. ऐतिहासिक स्थल – जयपुर, जंतर–मंतर – 2010

   2013 में 6 किले

   1. जैसलमेर 2. आमेर 3. रणथम्भौर
   4. चित्तौडगढ़ 5. कुम्भलगढ 6. गागरोन

- जयपुर परकोटा – 2019
- राज्य में जियो हैरिटेज साइट–
  रामगढ (बाँरा) – भारत की प्रथम
  जावर (उदयपुर)
- Tourism Railway Station – सवाई माधोपुर

योजनाएँ

1. प्रासाद योजना – मार्च, 2015 में अजमेर से
2. ह्रदय योजना – 2015 में अजमेर से

पर्यटक	
स्वदेशी पर्यटक	**विदेशी पर्यटक**
देश में स्थान – 7 सर्वाधिक – अजमेर, माउण्ट आबू सर्वाधिक – सितम्बर न्यूनतम – जनवरी	सर्वाधिक स्थान – जयपुर, उदयपुर देश में स्थान – 5 सर्वाधिक देश – फ्रांस, ब्रिटेन सर्वाधिक – नवम्बर/मार्च में न्यूनतम – जून

तथ्य

संग्रहालय + पनोरमा निम्नलिखित है –

- गोगाजी – गोगामेडी
- जम्भेश्वर जी – पीपासर (नागौर)
- तेजाजी – खरनाल (नागौर)
- करणीमाता – बीकानेर
- रामदेवजी – जैसलमेर
- संत पीपाजी – झालावाड़
- भर्तृहरी जी – अलवर
- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय – धानक्या (जयपुर)
- स्वामी दयानन्द सरस्वती – अजमेर
- महात्मा गाँधी – जयपुर
- आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम – मानगढ धाम (डूँगरपुर) गुरू गोविन्द गिरी द्वारा स्थापित
- हाडी रानी – सलूम्बर (उदयपुर)
- महाराणा सांगा – खानवा (भरतपुर)
- अमरसिंह राठौड पनोरमा – नागौर
- संत लिखमीदास पनोरमा – नागौर
- संत सुंदरदास पनोरमा – दौसा
- संत रैदास – चित्तौडगढ
- संत रैदास – चित्तौडगढ़
- संत नागरीदास – किशनगढ (अजमेर)

- महाकवि माघ – भीनमाल (जालौर) → गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त (भीनमाल
- अलीबक्शा – अलवर
- संत मावजी – डूँगरपुर
- कालीबाई – मांडवा (डूँगरपुर)
- संत धन्ना – टोंक
- शौर्य संग्राहलय – जैसलमेर
- गुरू गोविन्द सिंह – बुड्डा जोहड
- जयपुर प्राइड – जनवरी 2003
- जयपुर शहर में रात्रिकालीन भ्रमण हेतु डबल डेकर बस सेवा

पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव

- ऊँट महोत्सव – बीकानेर
- थार महोत्सव – बाड़मेर
- मरू महोत्सव – जैसलमेर
- मारवाड़ महोत्सव – जोधपुर
- मेवाड़ महोत्सव – जयपुर + जैसलमेर
- कांठला महोत्सव – प्रतापगढ
- विन्टेज कार रैली – जयपुर
- बेणेश्वर महोत्सव – डूँगरपुर
- धुलण्डी महोत्सव – जयपुर
- गणगौर महोत्सव – जयपुर
- ग्रीष्म व शीत महोत्सव – माउण्ट आबू
- महावीर जी महोत्सव – करौली
- जगन्नाथ मेला महोत्सव – अलवर
- तीज महोत्सव – जयपुर
- दशहरा महोत्सव – कोटा
- कजली तीज महोत्सव – बूँदी
- खलखाणी माता महोत्सव – जयपुर
- पुष्कर मेला महोत्सव – अजमेर

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- सोने का बुर्जा – धौलपुर
- दूध बावड़ी – आबू
- दूध तलाई – उदयपुर
- सोने की कोठी – टोंक
- तोरण द्वार – उदयपुर
- काठ का रेन बसेरा – झालावाड़

- राज्य में प्रथम हैरिटेज
  - तीर्थ – पुष्कर
  - नगर – ब्रज नगर
  - Hotel – अजीत भवन (जोधपुर)
- विभूति पार्क – उदयपुर
- रात्रिकालीन पर्यटन – अल्बर्ट हॉल + आमेर
- फूलो की घाटी – उदयपुर
- मिनी गोवा – बीसलपुर बाँध
- नौलखा किला स्मृति वन → झालावाड़
- स्मृति वन – जयपुर
- Boarder Tourism
  - हिंदुमलकोट (गंगानगर)
  - बीकानेर → खरूला, मारूती, बाजुवाला
- हाथीगाँव → कुण्डा गाँव (आमेर) (जयपुर)
- स्कूल ऑफ वस्तु – अजमेर (देश की पहली)
- झूलता हुआ पुल– कोटा (चम्बल नदी)
  - लम्बाई – 1.40 किमी
  - उद्घाटन – नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 अगस्त, 2017
  - चम्बल नदी – East – West corridor
    पूर्व – पश्चिम गलियारा

परिवार

- Family शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के Famulas से हुई है, जिसका अर्थ नौकर या सेवक होता है।
- ऐसा समूह जिसमें माता–पिता, बच्चें व नौकर शामिल हो परिवार कहलाता है।
- परिवार एक लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज की केन्द्रीय इकाई है।

परिभाषाएँ

- **मैकाइवर एवं पेज** – ''परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन–पोषण करते हुए स्थायी यौन संबंधों पर आधारित है।''
- **क्लेयर** – ''माता–पिता और उनके बच्चों के बीच पाये जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते है।''
- **लूसी मेयर** – ''परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता–पिता और उनकी संतान रहते हैं।''
- **मजूमदार** – ''परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं।''

परिवार की विशेषताएँ

1. विवाह एवं यौन संबंध
2. वंशनाम की व्यवस्था
3. दीर्घकालीन संबंध/समूह
4. सदस्यों का उत्तर दायित्व
5. भावात्मक आधार
6. सामाजिक नियंत्रण
7. प्रजनन
8. आर्थिक बंधन

परिवार का वर्गीकरण

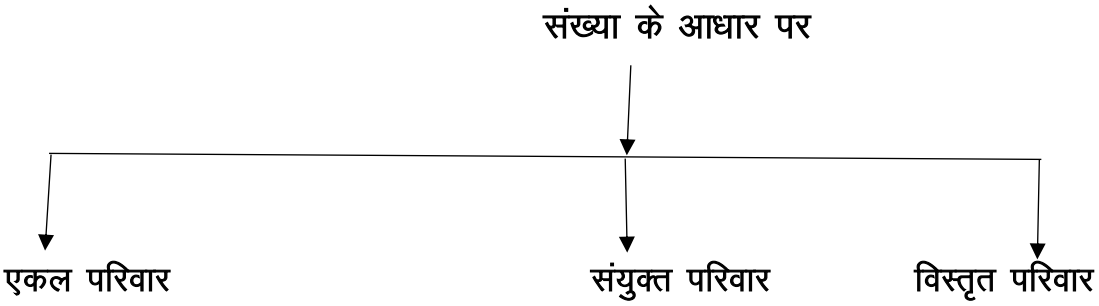

1. एकल परिवार/केन्द्रीय परिवार/नाभिक परिवार – वह परिवार जिसमें माता–पिता व अविवाहित बच्चे रहते हो एकल परिवार कहलाता है।

विशेषताएँ

(i) परिवार का सबसे छोटा रूप है।
(ii) बच्चे की आत्म निर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास है।
(iii) बच्चों में एकांकीपन की भावना का विकास हो जाता है।
(iv) कम आय में भी परिवार का संचालन किया जा सकता है।

एकल परिवार बनने के कारण –

(i) जनसंख्या में वृद्धि होना।
(ii) स्वतंत्र रहने की इच्छा।
(iii) सामाजिक बदलाव होना।
(iv) रोजगार या व्यवसाय के लिए प्रवजन।
(v) आर्थिक महत्व।
(vi) पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव।
(vii) गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन होना।

2. संयुक्त परिवार – वह परिवार जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हो, संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग होता है। के. एम. कपाड़िया ने इसे भारत की आदि परम्परा कहा है।

विशेषताएँ –

(i) बड़ा आकार।
(ii) सामान्य आवास।
(iii) सम्पत्ति के विभाजन का बचाव।
(iv) तीन पीढ़ियाँ एक साथ।
(v) संस्कृति की रक्षा।
(vi) राष्ट्रीय एकता एवं सेवा का भाव।
(vii) सामाजिक सुरक्षा।

सम्पत्ति के अधिकार की दृष्टि से दो भागों में बाँटा गया है –

(i) मिताक्षरा – यह परिवार विज्ञानेश्वर ने दिया। जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार जन्म से ही होता है। यह पूरे भारत में पाया जाता है।

(ii) दायभाग – यह केवल बंगाल व उड़िसा में पाया जाता है। जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार मुखिया के मरने के बाद मिलता है।

अधिकार के आधार पर

पितृसत्तात्मक
- ऐसे परिवार जिसका मुखिया पुरुष हो।

मातृसत्तात्मक
- ऐसे परिवार जिसकी मुखिया वरिष्ठ महिला हो।

स्थान के आधार पर

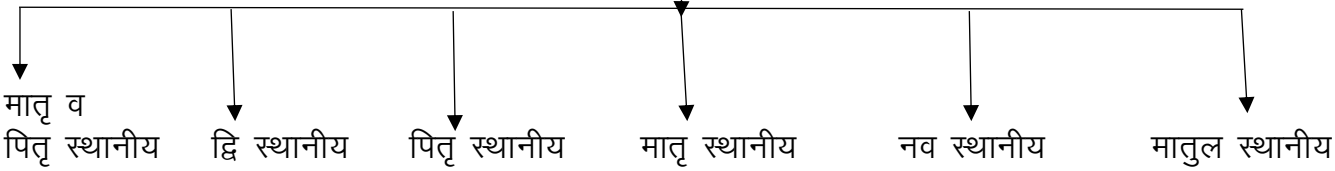

वंश के आधार पर

- जिसका वंश का नाम पिता के अनुसार चलता हो।
- जिसके वंश का नाम माता के अनुसार चलता हो।

विवाह के आधार पर

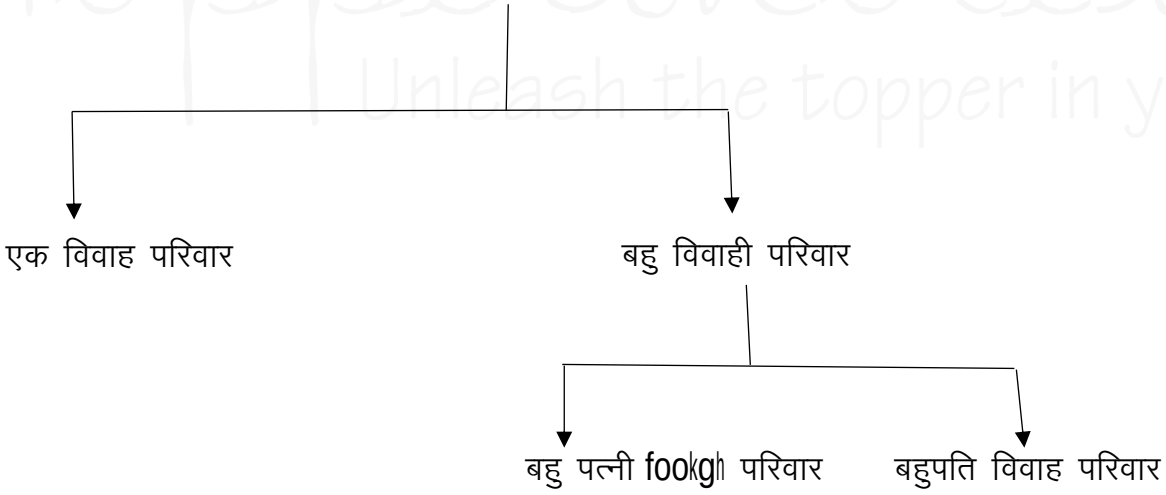

समरक्त परिवार

- ऐसे परिवार जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहे समरक्त परिवार कहलाता है। ये परिवार मालाबार के नायनरों परिवारों में पाया जाता है।
- अहोम आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था।

सामाजिक बुराईयाँ

बाल–श्रम

बाल–श्रम का मतलब यह है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है । इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है । अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जनविवाद प्रवेश कर गया । बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम बात है ।

बच्चो के अधिकार

यह अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम मे कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम को छोडकर कोई अन्य काम करता है, तो किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम के बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नही है । न्यूनतम आयु देश पर निर्भर करता है कि किसी प्रतिष्ठान में बिना माता पिता की सहमति के न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है ।

औद्योगिक क्रांति मे चार साल के कम उम्र के बच्चो को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियो के साथ उत्पादन वाले कारखाने मे कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का बनना (पेंगुइन), पीपी, अब अमीर देशो ने मजदूरो के रूप मे बच्चो के इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार का उल्लंघन माना है और इसे गैरकानूनी घोषित किया है जबकि कुछ गरीब देशो ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दी है ।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चो के मजदूरी के सहारे है । कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है । इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र मे नही होते है । बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र मे कार्यरत है, बच्चो के घरेलू काम मे योगदान भी महत्वपूर्ण है । बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनो अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओ के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है । कुछ युवाओ के अधिकार के समूहो यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चो के विकल्प कम करने को मानव अधिकारो का उल्लंघन मानते है । ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालो के इच्छा के अधीन रहते है । बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते है ।

बाल मजदूरी के कारण

यूनीसेफ के अनुसार बच्चो का नियोजन इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणो से करते है, उनमे आम तौर पर गरीबी फैली है । लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनो का लागू नही होना, बच्चो को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छक माता–पिता (वे अपने बच्चो को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते है, ताकि परिवार की आय बढ सके) जैसे अन्य कारण भी है। और यदि एक परिवार के भरण–पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है ।

यदि हम बाल श्रम को सिर्फ मजदूरी कमाने वाले काम के रूप मे परिभाषित करे तो सरकारी अनुमान के अनुसार भारत मे बाल श्रमिको की संख्या 1 करोड 70 लाख है। स्वतंत्र रूप से किये गये अनुमान, जो मोटे तौर पर यही परिभाषा स्वीकार करते है, मानते है कि यह संख्या 4 करोड है । लेकिन यदि स्कूल से बाहर के सभी बच्चो को बाल श्रमिक माना जाये तो यह संख्या करीब 10 करोड होगी।

भारत मे बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून

भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारो और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओ के माध्यम से कहता है-

- 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान मे काम करने के लिए नियुक्त नही किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन मे नियुक्त किया जायेगा (धारा 24)।
- राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषो और महिलाओ का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चो की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम मे आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्रवेश करे (धारा 39-ई)।
- बच्चो को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति मे विकास के अवसर तथा सुविधाएँ दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जायेगा (धारा 39-एफ)।
- संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)।

बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती है । दोनों स्तरों पर कई कानून बनाये भी गये है ।

स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है । इन पेशाओ और प्रक्रियाओ का उल्लेख कानन की अनुसूची मे है ।

फैक्टरी कानून 1948 – यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है । 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते है, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो । इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढे चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

बाल मजदूरी रोकने हेतु एम.वी.एफ मॉडल

एम.वी.एफ बुनियादी बातों से शुरू करता है । वह मानता है कि बाल श्रम से निपटने का एक मात्र रास्ता यह है कि पालकों के मन में शिक्षा के जरिये अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की जो इच्छा है उसका उपयोग किया जाये । उसका विश्वास है कि किसी बच्चे व बच्ची को काम से हटाने और स्कूल मे प्रवेश दिलाने के किसी भी कार्यक्रम का शुरुआती कदम यह होना चाहिये कि समुदाय के भीतर यह भावना भर दी जाये कि किसी भी बच्चे को काम नही करना चाहिये । समुदाय से जूझने का मतलब सिर्फ पालको से निपटना नही है बल्कि इसका संबंध सभी प्रकार के लोगो से है, जिनमे नियुक्ता, मत बनाने वाले, स्थानीय निकायो के निर्वाचित प्रतिनिधि, समुदाय के बुजुर्ग, स्थानीय युवा, शिक्षक आदि भी आते है । इसमे समुदाय के इन सभी सदस्यो को बाल श्रम के मुद्दे के बारे मे संवेदनशील बनाया जाता है और यह बताया जाता है कि वे किस तरह बाल श्रम को बनाये रखने मे योगदान देते है । इसमे समुदाय को इस बात के प्रति भी संवेदनशील बनाया जाता है कि बाल श्रम खत्म होने से सिर्फ पालको या खुद बच्चो को ही फायदा नही होता बल्कि समुदाय को भी फायदा होता है ।

बाल विवाह

बाल विवाह का सम्बन्ध आमतौर पर भारत के कुछ समाजों मे प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओ से जोडा जाता है, जिसमें एक युवा लडकी (आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की लडकी) का विवाह एक वयस्क पुरुष से किया जाता है । बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा मे दो बच्चो (लडका एवं लडकी) के माता-पिता भविष्य मे होने वाला विवाह तय करते है। इस प्रथा मे दोनो व्यक्ति (लडका एवं लडकी) उनकी विवाह योग्य आयु होने तक नही मिलते, जबकि उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है । कानून के अनुसार, विवाह योग्य आयु पुरुषो के लिए 21 वर्ष एव महिलाओ के लिए 18 वर्ष है ।

यदि किसी का कोई भी साथी इससे कम आयु मे विवाह करता है, तो वह विवाह को अमान्य निरस्त घोषित करवा सकता/सकती है ।

विभिन्न राज्यों में अठारह (18) वर्ष से कम आयु मे विवाह

- आन्ध्र प्रदेश – 71 प्रतिशत
- बिहार – 67 प्रतिशत
- मध्य प्रदेश – 73 प्रतिशत
- राजस्थान – 68 प्रतिशत
- उत्तर प्रदेश – 64 प्रतिशत

बाल विवाह के कारण

- गरीबी ।
- लडकियों की शिक्षा का निचला स्तर ।
- लडकियों को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना ।
- सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ

बालविवाह के दुस्परिणाम

बालविवाह के केवल दुस्परिणाम ही होते हैं जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पता है और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते हैं और इनसे एच.आई.वी. **(HIV)** जैसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है ।

बाल विवाह – उन्मूलन हेतु सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं की पहल ।

- बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों का निर्माण ।
- लडकियो की शिक्षा को सुगम बनाना ।
- हानिकारक सामाजिक नियमों को बदलना ।
- सामुदायिक कार्यक्रमो को सहायता ।
- विदेशी सहायता अधिकतम करना ।
- युवा महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना ।
- बाल बन्धुओं की विसले जरूरतों को पूरा करना ।
- कार्यक्रमों का आकलन कर देखना कि क्या बात असरदार होगी ।

सरकार की पहल

- बाल विवाह निरोधक कानून
- बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों ने कानून पारित किए हैं, जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं ।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005ß के अनुसार (भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित) 2010 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।